

# ।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

Email-dfo\_badrinath\_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 3968 / 12-1, गोपेश्वर,

दिनांक 13/04/2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,  
पौड़ी।

विषय:- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली-जैन्टा कोटी ग्वालखेत-पेखोली मोटर मार्ग का बैनीताल तक विस्तारीकरण के प्रस्ताव में कतिपय कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- ई0डी0एस0 दिनांक 29.01.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र में लगे कतिपय कमियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग की पत्र सं0 572/10 एल0ए0 दिनांक 07.03.2018 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जिसे संलग्नकों सहित प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग  
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक : 572 / 10 एल.ए.

दिनांक 7 / 3 / 2018

सेवा में ,

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वनप्रभाग  
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली-जेंटा-कोटी-ग्वालखेत-पेंखोली मोटर मार्ग का बैनीताल तक विस्तारीकरण में आपके द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- EDS दिनांक 29.01.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषय के अनुपालन में EDS दिनांक 29.01.2018 में संलग्न पत्र संख्या 70/FP/UK/ROAD/22108/2016 दिनांक 10 जुलाई, 2017 द्वारा उक्त मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव में बिन्दुवार आपत्तियाँ लगाई गयी है। जिनका बिन्दुवार निराकरण संलग्न पत्रानुसार पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 2359/10 एल.ए. दिनांक 21.08.2017 द्वारा कर दिया गया है। जो समस्त संलग्नकों सहित Additional information Details में Upload किया गया है।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

7/3/18  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग  
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204

Email- ceepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 2359/10एल.ए.  
सेवा में,

दिनांक 21/08/17

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग  
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली-जैटा-कोटी-ग्वालखेत-पैखोली मोटर मार्ग का बेनीताल तक विस्तारीकरण हेतु 3.606 हे. वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक देहरादून का पत्र संख्या 70/FP/OK/RDO/22108/2016 दिनांक 10.07.2017,

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा विषयक मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में बतलाई गई कमियों का निराकरण निम्न प्रकार से किया जा रहा है।

- (1) भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1 में दिनांक व स्थान यथा स्थान अंकित कर दिया गया है।
- (2) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-2 व वन संरक्षक के प्रपत्र भाग-3 को भरवाकर संलग्न किया जा रहा है।
- (3) प्रस्तावित मार्ग वन भूमि के अन्तर्गत केवल ग्राम-कोटी वन पंचायत की भूमि प्रभावित हो रही है। लैण्ड शेड्यूल संलग्न है। तथा FRA में उक्त का विस्तृत विवरण दर्ज है, FRA मूल में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
- (4) प्रस्ताव में संलग्न लम्बाई चौड़ाई के प्रमाण पत्र में मलवा निस्तारण का क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
- (5) क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निर्धारित वर्तमान दर दिनांक 19.08.2015 के आधार पर तैयार कर संलग्न है।
- (6) वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।
- (7) वृक्षों की सूची में विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित किया गया है।
- (8) प्रस्तावित परियोजना में वांज वृक्ष प्रभावित होने के कारण स्थल निरीक्षण रिपोर्ट व वन संरक्षक की आख्या भाग-3 में अंकित है।
- (9) मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित वनपंचायती भूमि का अनापत्ति सरपंच व ग्रामवासियों का अनापत्ति पत्र संलग्न है।
- (10) एन.पी.वी. का आंकलन घनत्व व इकोक्लास के आधार पर आंका गया है, जो संलग्न किया गया है।
- (11) प्रस्ताव की मूल प्रति में छायाप्रतियों को सत्यापित की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार बतलाई गई कमियों के निराकरण कर वनभूमि प्रस्तावों को अग्रिम कार्यालय हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। कृपया प्रस्तावों को नोडल अधिकारी देहरादून को अग्रसारित करने की कृपा करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूक्त प्रति

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
कर्णप्रयाग

पत्रांक /

दिनांक / /

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता को इस आशय के साथ कि प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वनप्रभाग से वन भूमि प्रस्तावों को सत्यापन के बाद नोडल अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
कर्णप्रयाग

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:-

मा. मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली  
के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली-जेंटा  
कोटी-ग्वालखेत-पेंखोली मोटर मार्ग का बेनीताल  
तक विस्तारीकरण।

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव  
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

मा. मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जपद चमोली  
के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली जेंटा  
कोटी -ग्वालखेत -पेंखोली मोटर मार्ग का  
बेनीताल तक विस्तारीकरण।

संलग्न

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि  
और उसके आस-पास के वनों की  
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

ग) परियोजना की लागत।

रु. 118.00 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने  
का औचित्य।

दुरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु यातायात  
को सुलभ सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये  
जाने के लिए)

लागू नहीं।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की  
संभावना है।

स्थानीय कृषि उत्पादन, बागवानी एवं  
वानिकी में वृद्धि होने के फलस्वरूप रोजगार के  
अवसर बढ़ेंगे

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार  
विवरण:

वन पंचायत भूमि- 2.905 हे.

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का  
विवरण, यदि कोई है

परियोजना के कारण कोई भी व्यक्ति  
परिवार विस्थापित नहीं होगी।

क) परिवारों की संख्या

\_\_\_\_\_

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के  
परिवारों की संख्या

\_\_\_\_\_

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने  
के लिए)

\_\_\_\_\_

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?  
(हां/नहीं)

हाँ,

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न

अनुसूची संलग्न है।

दिनांक 20-6-16

स्थान कृष्णप्रयाग

अमीन  
लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग

अमीन  
कनिष्ठ अभियन्ता  
लो.नि.वि.

सहायक  
सहायक अभियन्ता  
लो.नि.वि.

अधीक्षक  
अधीक्षक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

## SITE INSPECTION REPORT

NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA 1980)

1. A proposal has been received by this Office from the E.E PWD Karaprayag District-chamoli (Uttarakhand) for diversion (under FCA 1980) of **3.606 Hectare** of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for the "**Extension of Bagoli Jenta Koti Gwalkhet Penkhuli Motor Road to Bainitaal**" in Karanprayag. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on date **9-07-2017**
2. On inspection of the site, it is found that the land required by the User Agency is a Forest area measuring 3.606 Hectare.
3. The requirement of Forest Land as proposed by the User Agency in Column no-2 of Part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.- yes
4. There are no rare/endangered/unique Species of Flora and Fauna found in the area. - No
5. There are no Archaeological/heritage site/defined establishment or any other important Monument located in the area. - No
6. The User Agency has not violated the provision of Forest Conservation Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

Recommended for acceptance of the proposal for diversion of 3.606 Hectare of forest land for non-forestry purpose i.e., for "**Extension of Bagoli-Jenta-koti-Gwalkhet-pankhuli Motor Marg to Bainitaal**".

Recommended in public interest.

Place- Gopeshwar

Date-**09-07-2017**

(Signature)

Name- **N.N.Pandey**

**प्रधानीय प्रमुखिकारी**  
Designation **प्रधानीय प्रमुखिकारी**  
(बनोक्षी)

Office Seal-----

प्रपत्र-2.1

भाग-11

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान *Extension of Bagmati Forest Koshi Gwarkhet Bunkhali  
Motor Road to Benital.*

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र - *उत्तराखण्ड*
- ii) जिला - *भोजपुर*
- iii) वन प्रभाग - *बखीनाथ वन प्रभाग, जौपेश्वर।*
- iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) - *3.606 है०*
- v) वन की कानूनी स्थिति - *वन पंचायत*
- vi) हरियाली का घनत्व - *0.4 ECO CLASS V*
- vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाएगी) सिवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए - *पुस्तक में संलग्न*
- viii) गृहकरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। - *प्र-वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न*
- ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी - *1.20 km*
- x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य जैवमण्डल रिजर्व, नाथ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए) - *नहीं*
- xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें। - *नहीं*
- xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा संक्षिप्त प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या - *नहीं*

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। *प्रस्तावित वन आराम न्यूनतम है।*

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहा है। - *नहीं*

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। - संलग्न
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। - प्रस्ताव में संलग्न
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। - प्रस्ताव में संलग्न
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। - संलग्न
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। - संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

- संलग्न

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

803000 है।

i. जिला का वन क्षेत्र।

514792 है।

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग लाया गया कुल क्षेत्र।

- 218 मामले, 826.453 है।

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

लागू नहीं

(ख) वनेत्तर भूमि पर

30/06/2017 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर - 482.94 ha

(ख) वनेत्तर भूमि पर - 497.57 ha

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

- जनहिर में संतुष्टि की जाती है।

दिनांक 09/07/2017

स्थान गोपेश्वर

हस्ताक्षर

नाम

(रन. रन. पाण्डेय)

प्रभागिय वन अधिकारी  
सरकारी महिला वन प्रभाव वैशिक्षक  
(कमोली)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No.FP/UK/ROAD/22108/2016

परियोजना का नाम- जनपद चमोली के ज्वारकेत चमोली जैरा कोरी  
ज्वारकेत पैरवोली मोटर मार्ग का  
बेनीताल तक विस्तारीकरण 3.606 हे.

|    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | <u>नहीं।</u>                                                                                                                                    |
| 2. | क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?                                                                                                        | <u>सहमत, परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न पुजाति के कुल 755 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें 323 वृक्ष बाँज के भी प्रभावित हो रहे हैं।</u> |
| 3. | प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।                                                                                      | <u>परियोजना विकास कार्य सम्बन्धित है, जनहित में संस्तुति दी जाती है।</u>                                                                        |

दिनांक 20-7-2017

स्थान पैडी

हस्ताक्षर [Signature]

नाम (जी. के. रस्तोगी)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त

उत्तराखण्ड प्रदेश

परियोजना का नाम— मा. मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली— जेंटाकोटी— ग्वालखेत— पेंखोली मोटर मार्ग का बेनीताल तक विस्तारीकरण।

परियोजना की लम्बाई—चौड़ाई का प्रमाण—पत्र।

प्रस्तावित सिविल भूमि/वन पंचायती भूमि की लम्बाई .4150 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर कुल 29050 वर्ग मीटर अर्थात् 2.905 हे० है।

| भूमि का प्रकार  | लम्बाई  | चौड़ाई  | हेक्टेयर  |
|-----------------|---------|---------|-----------|
| नाप भूमि        | —शून्य— | —शून्य— | —शून्य—   |
| सिविल भूमि      | —शून्य— | —शून्य— | —शून्य—   |
| वन पंचायती भूमि | 4150    | 7मी.    | 2.905हे.  |
| कुल योग—        |         |         | 2.905 हे. |

मक डिस्पोजल क्षेत्र  
वन पंचायती भूमि

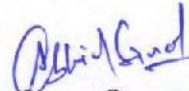
230 मी

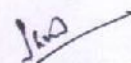
30.5 मी

0.701 हे०

योग 3.606 हे०

  
अमीन  
लो.नि.वि.

  
कनिष्ठा अभियन्ता  
लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग

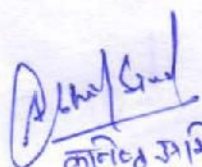
  
सहायक अभियन्ता  
लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग

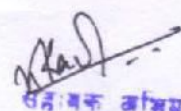
  
अधिशास्त्री अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- मा. मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली- जेंटा कोटी- ग्वालखेत- पेंखोली मोटर मार्ग का बैनीताल तक विस्तारीकरण।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त परियोजना में जो वन भूमि प्रस्तावित की गयी है। उसके अन्तर्गत कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः उक्त परियोजना के निर्माण में किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

  
ज. क. सिंग  
प्र. स. टो. नि. र.  
कर्णप्रयाग

  
सहायक कमिश्नर  
श. स. टो. नि. र.  
कर्णप्रयाग (चमोली)

  
अधिशाली अभियन्ता  
प्रान्तीय स. टो. नि. र.  
कर्णप्रयाग (चमोली)

R. 0.

D. F. O.

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र वन पंचायत कोटी

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में बगोली-जैटाकोटी- ग्वालखेत-पेंखोली मोटर मार्ग का बैनीताल तक विस्तारीकरण के लिए ग्राम पंचायत कोटी की पैखोली नामक तोक में मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.905 हे. वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है, तथा निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण के लिए जो उपयुक्त स्थान वन पंचायत के अन्तर्गत प्रस्तावित है जिसका क्षेत्रफल 0.701 हे. विभाग द्वारा प्रस्तावित है, जो उपयुक्त है, इस प्रस्तावित वन पंचायती भूमि में मार्ग निर्माण व मलवा निस्तारण हेतु वन पंचायत कोटी को कोई आपत्ति नहीं है मार्ग निर्माण के बाद उचित स्थलों पर वृक्षा रोपण वन विभाग द्वारा किया जाय, अथवा मोटर मार्ग के व्यय से वन पंचायत को इसकी व्यवस्था कर दी जाय।

भवदीय  
सुशील कोटी  
सरपंच  
ग्राम पंचायत कोटी  
विकास (चमोली) प्रयाग